न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 17/2025(GCMS : 2025/21)

ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए यू फाईनेंसर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) शाखा कार्यालय 4–ई–8 जवाहर नगर, प्रथम तल, मीरा चौक रोड, नजदीक गौड़ हास्पीटल, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता सतनाम सिंह पोर्टफोलियो कलैक्शन मैनेजर

बनाम

1. राम दयाल पुत्र श्री बीरबल राम निवारी लखाहाकम, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर पिन – 335021
2. बीरबल राम पुत्र श्री पेमाराम निवासी 84 आर.बी. लखाहाकम, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. मंजू देवी पत्नी श्री रामदयाल निवासी 84 आर.बी. लखाहाकम, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.08.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री राजीव मेहंदीरत्ता ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण राम दयाल, बीरबल राम एवं मंजू देवी को ऋण सुविधा के रूप में 4.00/– लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 21.05.2018 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 10.09.2024 को 2,87,461/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी बीरबल राम द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति ग्राम पंचायत लखाहाकम, 84 आरबी रायसिंहनगर श्रीगंगानगर द्वारा जारी पट्टा सं. 78, अहाता संख्या 242(क) साईज 4066 सक्वायर फीट, अहाता संख्या 242(ख) साईज 1104 सक्वायर फीट अहाता संख्या 242(ग) साईज 1166 सक्वायर फीट एवं अहाता संख्या 242 साईज 5328 सक्वायर फीट इस प्रकार कुल साईज 11664 सक्वायर फीट जिसका आसापासा – पूर्व में प्लाट नं. 242 का भाग, पश्चिम में प्लाट नं. 240, उत्तर में सड़क एवं दक्षिण में प्लाट नं. 252, 244 है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे की प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:24:16 IST
Reason: SelfAttested

मैने, पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** राम **दयाल, बीरबल राम** एवं मंजू **देवी** को ऋण सुविधा के रूप में 04.00/– लाख रूपये **(अखरे रूपये चार लाख मात्र) की स्वीकृति दिनांक 21.05.2018 को प्रदान की थी और** ऋण

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी बीरबल राम ने अपनी अचल सम्पत्ति ग्राम पंचायत लखाहाकम, 84 आरबी रायसिंहनगर श्रीगंगानगर द्वारा जारी पट्टा सं. 78, अहाता संख्या 242 (क) साईज 4066 सक्वायर फीट, अहाता संख्या 242 (ख) साईज 1104 सक्वायर फीट अहाता संख्या 242(ग) साईज 1166 सक्वायर फीट एवं अहाता संख्या 242 साईज 5328 सक्वायर फीट इस प्रकार कुल साईज 11664 सक्वायर फीट जिसका आसापासा – पूर्व में प्लाट नं. 242 का भाग, पश्चिम में प्लाट नं. 240, उत्तर में सड़क एवं दक्षिण में प्लाट नं. 252, 244 है, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 08.09.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन. पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी बीरबल राम की अचल सम्पत्ति ग्राम पंचायत लखाहाकम, 84 आरबी रायसिंहनगर श्रीगंगानगर द्वारा जारी पट्टा सं. 78, अहाता संख्या 242 (क) साईज 4066 सक्वायर फीट, अहाता संख्या 242 (ख) साईज 1104 सक्वायर फीट अहाता संख्या 242(ग) साईज 1166 सक्वायर फीट एवं अहाता संख्या 242 साईज 5328 सक्वायर फीट इस प्रकार कुल साईज 11664 सक्वायर फीट जिसका आसापासा – पूर्व में प्लाट नं. 242 का भाग, पश्चिम में प्लाट नं. 240, उत्तर में सड़क एवं दक्षिण में प्लाट नं. 252, 244 है, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षे[illegible]ला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के [illegible] हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:24:16 IST
Reason: SelfAttested

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 11.09.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 11.09.2024 को 60

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 15.09.2024 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी बीरबल राम द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी बीरबल राम द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति ग्राम पंचायत लखाहाकम, 84 आरबी रायसिंहनगर श्रीगंगानगर द्वारा जारी पट्टा सं. 78, अहाता संख्या 242 (क) साईज 4066 सक्वायर फीट, अहाता संख्या 242 (ख) साईज 1104 सक्वायर फीट अहाता संख्या 242(ग) साईज 1166 सक्वायर फीट एवं अहाता संख्या 242 साईज 5328 सक्वायर फीट इस प्रकार कुल साईज 11664 सक्वायर फीट जिसका आसापासा – पूर्व में प्लाट नं. 242 का भाग, पश्चिम में प्लाट नं. 240, उत्तर में सड़क एवं दक्षिण में प्लाट नं. 252, 244 है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की [illegible] प्रार्थी [illegible]व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:24:16 IST
Reason: SelfAttested